

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2011/माघ 12, 1932

No. 177]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2011/MAGHA 12, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(समन्वय अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

का.आ. 217(अ).—केंद्रीय सरकार, विक्रय संबन्धित कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग की प्रकृति, विक्रय या इतर प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में संश्लेषित विस्तृत विचारों को करने के लिए ऐसे उद्योग में नियोजित कर्मचारियों की संख्या, ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा ऐसे अन्य कारकों को जो उसकी राय में 'सुसंगत' हैं, को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उद्योगों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. प्रसाधन, साबुन, घरेलू मार्जक और विसंक्रामक
2. तैयार वस्त्र
3. मृदु पेय विनिर्माण उद्योग
4. बिस्किट और कन्फेक्शनरी
5. आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियाँ
6. उपसाधन और अतिरिक्त पुर्जों सहित आटोमोबाइल
7. शल्य चिकित्सा उपस्कर, कृत्रिम प्रोस्थेसिस और डायग्नोस्टिक्स
8. इलेक्ट्रानिक्स, उपसाधन और अतिरिक्त पुर्जों सहित कम्प्यूटर्स
9. विद्युत साधन
10. पेंट और वार्निश

[फा. सं. जेड-20025/30/2010-समन्वय]

के. एम. गुप्ता, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Coordination Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2011-

S.O. 217(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976), the Central Government, having regard to the nature of the industry, the number of employees employed in such industry to do any work relating to promotion of sales or business or both, the conditions of service of such employees and such other factors which in its opinion are relevant, hereby declare the following industries to be a notified for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1. Cosmetics, soaps, household cleaners and disinfectants.
2. Readymade garments.
3. Soft drink manufacturing industries.
4. Biscuits and confectioneries.
5. Ayurvedic, Unani and Homoeopathic Medicines.
6. Automobiles including accessories and spare parts.
7. Surgical equipments, artificial prosthesis and diagnostics.
8. Electronics, computers including accessories and spares.
9. Electrical appliances.
10. Paints and varnishes.

[F.No. Z-20025/30/2010-Coord.]

K.M. GUPTA, Economic Adviser